फर्द अहकाम

अर्जुनलाल वगै0 बनाम राज0 सरकार वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या :– 21/2024 प्रार्थना–पत्र 251 ए, आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना–पत्र पर बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ बाबत् दिनांक 3.11.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	
03.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 22 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की जोत में से नया रास्ता खोलने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्तविक तथ्य को छुपाकर विधि–विधान के विरूद्ध पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। हाल आराजी खसरा नंबर 26/0.28 है0 ग्राम माधोकाबास के खातेदार व प्रार्थी संख्या 20 कालू पुत्र भोमा ने उक्त भूमि को मिन अप्रार्थी संख्या 22 के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा है। इसलिए इस भूमि को बिना रहन मुक्त कराये किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल व अंक 1, 2, 3 से प्रदर्शित में से नया रास्ता का आदेश पारित कर तहसीलदार, शाहपुरा से उक्त नये रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं अवलोकन उपरांत पत्रावली जाहिर होता है कि प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से प्रस्तावित रास्ता आराजी खसरा नंबर 1129/28 में से होकर जाता है, जिसके संबंध में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा नंबर 1128/28 को प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 दर्शाया है, जिसके संबंध में न्यायालय आदेश दिनांक 26.06.2025 के अनुसार "प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 में सीमेन्ट के ब्लॉक बनाकर दीवार बनी हुई होने से दिया जाना उचित नहीं है एवं तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 व 3 हेतु संबंधित खातेदार काश्तकार को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु" आदेश दिये गये है। वकील प्रार्थी को दौराने बहस न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 व 3 में से रास्ता दिये जाने बाबत् पूछा गया तो वकील प्रार्थी ने प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 व 3 दिये जाने बाबत् असहमति जताई। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1, 2, 3 प्रदर्शित किये गये है एवं न्यायालय आदेश दिनांक 26.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 दिया जाना उचित नहीं होने से एवं उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

फर्द अहकाम

अर्जुनलाल वगै0 बनाम राज0 सरकार वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या :– 21/2024 प्रार्थना–पत्र 251 ए, आर.टी.एक्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	3/11/25 लगातार	वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 व 3 पर असहमति जताने से एवं प्रस्तावित रास्ता संख्या 1, 2, 3 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है एवं न्यायिक दृष्टि से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है, पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)